न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
1/96	23.05.2025	25.02.2026

बउनवान

01. कुन्दनसिंह पुत्र प्रभुसिंह
02. कमलसिंह राजपूत पुत्र प्रभुसिंह, जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज.

वादीगण

बनाम

01. रामवतार पुत्र रामनिवास, जाति महाजन, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज.
02. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज.
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) मालाखेडा जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 683 आराजी हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 225 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 226 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 1.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। जिसका 18/41 हिस्सा वाद पत्र मे विवादित है। उपरोक्त वर्णित कुल खसरा 3 रकबा 1.0400 हैक्टेयर खाता संख्या नया 683 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर का 18/41 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 रामवतार पुत्र रामनिवास की खातेदारी की आराजी है। जिसके द्वारा अपनी पूर्ण खातेदारी की आराजी पंजीकृत बयनामा दिनांक 12.10.2020 द्वारा वादीगण को विक्रय कर दी जो बयनामा उप पंजीयक मालाखेडा द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। बाद खरीद वादीगण उक्त आराजी पर बतोर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से निरंतर वादीगण के नाम नामांतकरण बय दर्ज व स्वीकार करने हेतु निवेदन करते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आज तक वादीगण के नाम खातेदारी प्रदान नहीं की है तथा उनके द्वारा कहा गया कि उक्त वर्णित आराजी का 5/82 हिस्सा मंगल्या पुत्र गोपाल कस्टोडियन गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि मिन वादीगण द्वारा उक्त मंगल्या का हिस्सा ना तो खरीद किया है और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी कस्टोडियन गैरखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से पूरी तरह श्रीमान को रोशन होगा कि 18/41 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और यही आराजी वादीगण द्वारा पंजीकृत बयनामा द्वारा खरीद की गई है। यदि उक्त आराजी गैरखातेदारी में दर्ज होती तो उसका बयनामा होना

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ही सम्भव नही था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई गौर नही किया । प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जिससे वादीगण के हक व अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। वादीगण द्वारा उक्त आराजी तयशुदा प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिफल अदा कर क्रय की है और उसके द्वारा अपनी खातेदारी का हिस्सा पर विधिवत कब्जा प्रदान किया है और बाद खरीद वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वादीगण विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हैं और अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जो वादीगण के हक व अधिकारो के खिलाफ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल कर विवादित आराजी को रहन बय हिब्बा करके मुन्तकिल व मुकफिल कर दिया तो वादीगण तबाह व बरबाद एवं बेघर बाहर हो जावेगें जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से नही की जा सकेगी। दिनांक 15.05.2025 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए निवेदन किया तो स्पष्ट इंकार कर दिया कि जो तारीख दावा हाजा के लिए बिनायदावी एवं बिनायमुखास्मत है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वो वादीगण को विवादित आराजी से जबन बेदखल कर कब्जा ना करें ना ही किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिबा के मुन्तकिल करें तथा रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे। डिक्री दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में हाल में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो इन्द्राज वादीगण कलमजन कराकर अपना नाम बतोर खातेदार दर्ज करा कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। वकील वादी ने पत्रावली मे फाइनल बहस सुने जाने का निवेदन किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की फाइनल बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात पर गौर किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया कि विवादित खाता संख्या नया 683 आराजी हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 225 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 226 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 1.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में प्रतिवादी संख्या 1 रामवतार पुत्र रामनिवास, जाति महाजन, सा. देह खातेदार का 18/41 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रतिवादी संख्या 1 रामवतार पुत्र रामनिवास जाति महाजन, द्वारा वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति से इंकार किया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खाता संख्या नया 683 आराजी हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 225 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 226 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 1.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 रामवतार पुत्र रामनिवास हिस्सा 18/41 जाति महाजन, सा. देह खातेदार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)